

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

विधायक सभा का नाम— डॉ. २६०४

जनपद— भरतपुर

ग्राम पंचायत में दिनांक २६.०४.२०२२ को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया—

1— ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है—

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनुजाति / जनजाति / वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं।
1	अमृता बट्टेन ठिन्डी	कैवट	अध्यक्ष	9459156705
2	प्रदीप घुजापाल	कैवट	सचिव	8574906204
3	" मुखुलला देवी	कैवट	कोषाध्यक्ष	9129111629
4	" कैलश शर्मा	कैवट	सामान्य सदस्य	9793285350
5	" तुन्ना	कैवट	सामान्य सदस्य	9451764718
6	" शन्तरारा देवी	कैमा	सामान्य सदस्य	8401062618
7	" अलिंग जड़वती देवी	कैवट	सामान्य सदस्य	9807126247
8	" राम उपासने	" "	सामान्य सदस्य	8433566284
9	" जयशंकर	" "	सामान्य सदस्य	7718902347
10	" कुलावती	" "	सामान्य सदस्य	9415105386
11	" अजय	" "	सामान्य सदस्य	8953538204
12	" चन्द्रेश्वर	पटेल	सामान्य सदस्य	9621118470
13	" गिरधारी	कैवट	सामान्य सदस्य	6393907428
14	" रुनीला	लाल	सामान्य सदस्य	8458068906
15	" अलंग	गारी	सामान्य सदस्य	9833632262

2— पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय—समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

- 5- कार्यक्रम की धनराशि को प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर भियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्माण अगूठाँ
1	श्री वट्यन ठिन्ड	अध्यक्ष	वट्यन ठिन्ड
2	॥ पदीषप्रजापति	सचिव	
3	॥ मुकुन्तला देवी	कोषाध्यक्ष	मुकुन्तला देवी
4	॥ कलाइलाल	सामान्य सदस्य	कलाइलाल
5	॥ मुन्ना	सामान्य सदस्य	मुन्ना
6	सन्ता	सामान्य सदस्य	सन्ता
7	जड़ाबती	सामान्य सदस्य	जड़ाबती
8	रामउमासर	सामान्य सदस्य	रामउमासर
9	जयशंकर	सामान्य सदस्य	जयशंकर
10	कृष्णबती	सामान्य सदस्य	कृष्णबती
11	आजप	सामान्य सदस्य	आजप
12	चन्द्रप्रसाद	सामान्य सदस्य	चन्द्रप्रसाद
13	हरप्पार	सामान्य सदस्य	हरप्पार
14	सुनीता देवी	सामान्य सदस्य	सुनीता देवी
15	नीरनमदी	सामान्य सदस्य	नीरनमदी